

१७

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
समक्ष : मनोज गोयल,  
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2606-पीबीआर/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 16-5-16 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त सुपावली, तहसील व जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 12/15-16/अ-12(129).

नाथूराम पुत्र राजाराम  
निवासी ग्राम बंधा  
तहसील व जिला ग्वालियर  
विरुद्ध

.....आवेदक

- 1— सालिगराम पुत्र प्रह्लाद  
निवासी ग्राम बंधा  
तहसील व जिला ग्वालियर
- 2— राजस्व निरीक्षक, वृत्त सुपावली  
तहसील व जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक  
श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::  
( आज दिनांक ६/९/१२ को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त सुपावली, तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-5-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम बंधा तहसील व जिला ग्वालियर स्थित सर्वे क्रमांक 91/1, 92/1, 97/1, 98/1 कुल रकबा 0.669 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 93/1 रकबा 0.063 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक वृत्त सुपावली, तहसील व जिला ग्वालियर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/15-16/अ-12(129) दिनांक 16-5-16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया।

५२

राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है, जबकि आवेदक हितबद्ध एवं चौमेड़िया कृषक था । इस आधार पर कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । यह भी कहा गया कि जो पंचनामा संलग्न है, वह कम्प्यूटर से टाईपिंग कर तैयार किया गया है, जो पूर्णतः अवैध होकर शून्यवत है, क्योंकि पंचनामा स्थल पर तैयार नहीं किया गया है, न ही पंचनामा पड़ोसी कृषकों एवं पंचों के समक्ष तैयार किया गया है, और न ही पंचनामा में आवेदक के कहीं हस्ताक्षर है, फिर भी मेड़िया कृषक के समक्ष सीमांकन कार्यवाही किए जाने का उल्लेख है । तर्क में यह भी कहा गया कि यदि आवेदक पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया था, तब इसका उल्लेख पंचनामा में किया जाना चाहिए था, किन्तु इस संबंध में पंचनामा में कोई उल्लेख नहीं है, इससे स्पष्ट है कि आवेदक को सीमांकन कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी गई है, और न ही उसके समक्ष सीमांकन की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौके पर कोई सीमांकन नहीं किया गया है, और न ही मौके पर नजरी नक्शा तैयार किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर उपस्थित होकर खसरा नक्शा से मिलान कर 14 मुड़िड़या कायम कराई जाकर पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार कर पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि जो पंचनामा तैयार किया गया है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि उपस्थित पड़ोसी कृषकों एवं पंचों के समक्ष उभय पक्ष द्वारा सीमांकन कार्यवाही में सहमति दी गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन प्रकरण में आवेदक संहित पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । इसके

*अ०*

*अ०*

अतिरिक्त स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन भी नहीं किया गया है। अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, इसलिए राजस्व निरीक्षक का आदेश निरस्त किय जाने योग्य है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अवैध सीमांकन के दौरान ही प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा सौपने की कार्यवाही भी कर दी गई है। अतः स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त सुपावली, तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-5-16 निरस्त किया जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर